मध्य प्रदेश शासन
परिवहन विभाग
प्रश्न सं. [क्र. 2547] मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल

[16/3/2023]

परिशिष्ट - "३"

एफ 22–266 / 2019 / आठ — भोपाल, दिनांक 24.09.2020

प्रति,

परिवहन आयुक्त,
मध्यप्रदेश ग्वालियर,

विषयः– नवीन जिला निवाड़ी में जिला कार्यालय प्रारंभ करने हेतु अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पदस्थापना बावत्।

संदर्भः– आपका पत्र क्रमांक 6562 / स्था. ओएस / टीसी / 2019, दिनांक 16.12.2019

—00—

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करें।

2/– प्राप्त उक्त पत्र के बिंदु क्रमांक 03 में संशोधित प्रस्ताव अनुसार नवीन जिला निवाड़ी में जिला कार्यालय खोलने की अनुमति प्रदान की जाती है। आपके द्वारा प्रस्तुत नवीन पदों की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग / वित्त विभाग की सहमति हेतु विचाराधीन है। यह कार्यवाही होने तक परिवहन आयुक्त कार्यालय में संलग्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा मध्यप्रदेश सड़क परिवहन निगम के प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों में से पदस्थापना अविलंब की जाए।

3/– जिला निवाड़ी कार्यालय प्रारंभ कर इस विभाग को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

(आर.एन. चौहान)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
परिवहन विभाग

पृ0 क्रमांक एफ 22–266 / 2019 / आठ — भोपाल, दिनांक 24.09.2020

प्रतिलिपिः–

कलेक्टर जिला निवाड़ी की ओर उनके अर्द्धशासकीय पत्र क 784 / स्टेनो / 2020, दिनांक 09.09.2020 एवं पत्र क 810 / स्टेनो / कले.नि. / 2020, दिनांक 14.09.2020 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

निज कक्ष
(परिवहन आयुक्त)
1227

परिवहन आयुक्त (प्रदे)
मध्यप्रदेश

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन